रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260688
CG-DL-E-01022025-260688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946
No. 556] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

का.आ. 560(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मणिपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. प्रो. थिंगबिजम बिनॉय सिंह, - अध्यक्ष ;
डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ साइंस,
मणिपुर विश्वविद्यालय,
कांचीपुर, इम्फाल -795003

2. प्रो. लेईताम नाबाचन्द्र सिंह, - सदस्य ;
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर,
इरोईसेम्बा, इम्फाल -795004

3.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निदेशालय, मणिपुर सरकार, इम्फाल	-	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

4. प्राधिकरण, मणिपुर राज्य के लिए पैरा-6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय लेगा।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे और साधारण रूप से सर्वसम्मत होंगे :

परंतु यह कि विनिश्चय बहुमत द्वारा लेने की दशा में इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्टतया अभिलिखित किए जांएगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

6. केन्द्रीय सरकार, मणिपुर की राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, मणिपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रो. एलंगबाम बिजॉयकुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल-795003	-	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. थंगजाम सोमचंद, मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, टकयेलपट, इम्फाल -795001	-	सदस्य ;
3.	डॉ. नगांगबाम रोमेजी सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी मणिपुर, लांगोल, लामफेलपट,इम्फाल-795004	-	सदस्य ;
4.	डॉ. मणिचंद्र सानौजम, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल -795003	-	सदस्य ;
5.	डॉ. खोईयान्गबाम राजू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायमेंटल साइंस, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल -795003	-	सदस्य ;
6.	प्रो. अकोइजम बिजया देवी, कृषि विद्यालय, इरोइसेम्बा, इम्फाल-795004	-	सदस्य ;

7.	प्रो. क्षेत्रीमयुम लाल बिहारी सिंहा, डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ साइंस (वनस्पति विज्ञान), मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल-795003, मणिपुर	-	सदस्य ;
8.	प्रो. येंगखोम रघुमणि सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर, मणिपुर -795003	-	सदस्य ;
9.	डॉ. मायांगलांबम लिली देवी, (एसोसिएट प्रोफेसर), डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, न्यू सोशल साइंस बिल्डिंग, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल-795003, मणिपुर	-	सदस्य ;
10.	प्रो. खुंड्राकपम प्रदीपकुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जिओग्राफी, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	-	सदस्य ;
11.	संयुक्त निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, मणिपुर सरकार	-	सदस्य सचिव।

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. हितों के किसी विरोध से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, तथा समिति का अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे, जिसे उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या जिसका समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना है; और

(ii) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य या समिति का अध्यक्ष या सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों में किसी भी परियोजना के प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, तो उस दशा में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को दूर रखेंगे ।

11. मणिपुर राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास सुविधा, परिवहन और उसके कृत्यों के संबंध में अन्य प्रसुविधा भी है, उपलब्ध कराएगा।

12. प्राधिकरण के सदस्य और अध्यक्ष तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते मणिपुर राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-11013/37/2009-आईए.II(I)]

डॉ. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2025

S.O. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Manipur (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:—

1. Prof. Thingbaijam Binoy Singh, - Chairman;
   Department of Life Sciences,
   Manipur University,
   Canchipur, Imphal-795003
2. Prof. Leitam Nabachandra Singh, - Member;
   College of Agriculture,
   Iroisemba, Imphal-795004
3. Director, - Member Secretary.
   Directorate of Environment and Climate Change,
   Government of Manipur, Imphal

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Manipur.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government;

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Manipur, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Manipur (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:—

1. Prof. Elangbam Bijoykumar Singh, - Chairperson;
   Department of Economics,
   Manipur University,
   Canchipur, Imphal-795003
2. Dr. Thangjam Somchand, - Member;
   Manipur Institute of Technology,
   Takyelpat, Imphal-795001

3. Dr. Ngangbam Romeji Singh, - Member;
Department of Civil Engineering,
National Institute of Technology Manipur,
Langol, Lamphelpat, Imphal-795004

4. Dr. Manichandra Sanoujam, - Member;
Department of Earth Science,
Manipur University,
Canchipur, Imphal-795003

5. Dr. Khoiyangbam Raju Singh, - Member;
Department of Forestry & Environmental Science,
Manipur University,
Canchipur, Imphal-795003

6. Prof. Akoijam Bijaya Devi, - Member;
College of Agriculture
Iroisemba, Imphal -795004

7. Prof. Kshetrimayum Lal Bihari Singha, - Member
Department of Life Sciences (Botany),
Manipur University,
Canchipur, Imphal-795003, Manipur

8. Prof. Yengkhom Raghumani Singh, - Member;
Department of Earth Sciences,
Manipur University,
Canchipur, Manipur-795003

9. Dr. Mayanglambam Lilee Devi, - Member;
(Associate Professor),
Department of Sociology,
New Social Science Building,
Manipur University: Canchipur,
Imphal-795003, Manipur

10. Prof. Khundrakpam Pradipkumar Singh, - Member;
Department of Geography,
Manipur University, Imphal

11 Joint Director, -Member Secretary.
Directorate of Environment & Climate Change,
Government of Manipur.

7. The Chairperson and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,—

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Chairperson and Members of the Committee shall,—

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Chairperson or Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The State Government of Manipur shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson or Member of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Manipur.

[F. No. J-11013/37/2009-IA.II(I)]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA